



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



10 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 109 राँची, गुरुवार,

29 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-48/2023-25455 (HRMS)--श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार के विरुद्ध गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3039, दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-313/स्था०, दिनांक 01.06.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मंडल कारा, लातेहार में हुए चतुर्थ त्रैमासिक निविदा (01.10.2016 से 31.12.2016) में अनियमितता एवं निविदाताओं द्वारा समर्पित Online निविदा को गलत ढंग से अयोग्य ठहराने से संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4673, दिनांक 17.08.2023 द्वारा श्री मुण्डा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री मुण्डा के पत्रांक-464, दिनांक 30.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा काराधीक्षक के प्रभार के दौरान मात्र काराधीक्षक- सह-सचिव के तौर पर निविदा प्रक्रिया में उपस्थित थे। त्रैमासिक निविदा (01.10.2016 से 31.12.2016) में निविदा निस्तार का

सम्पूर्ण अधिकार उप विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, लातेहार को प्राप्त है। कारा निरीक्षणलय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-2569, दिनांक 19.08.2016 के कंडिका-5 में स्पष्ट अंकित है कि क्रय समिति द्वारा अनुशंसित/निर्धारित सामग्रियों की दर को कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को पूर्णतः/अंशतः संशोधित करने तथा निविदा को पूर्णतः/अंशतः संशोधित या रद्द करने का अधिकार होगा। इस कारण निविदा निस्तारण के दौरान लगाये गये आरोप से इनका सीधे-सीधे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। साथ ही प्रतिवेदित है कि इनके द्वारा निविदा निस्तारण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई ना ही किसी प्रकार की इनके गलत निति निर्णय के कारण सरकार को वित्तीय क्षति हुई है।

श्री मुण्डा विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2269, दिनांक 04.10.2018 से प्रेषित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में भी प्रतिवेदित है कि कारा क्रय समिति द्वारा अनुमोदित निविदा को कारा अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक-1688, दिनांक 20.10.2016 के द्वारा निविदा शर्त की कंडिका-5 के आलोक में कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुमोदन के लिए भेजा गया है तथा कारा महानिरीक्षक, राँची के पत्रांक-3617, दिनांक 16.12.2016 के माध्यम से कारा क्रय समिति के द्वारा अनुशंसित सामग्रियों की दर को पूर्णतः/अंशतः संशोधित करके अनुमोदित किया गया है। स्पष्टतः कारा क्रय समिति, लातेहार द्वारा ई-निविदा प्रक्रियानुसार एवं निविदा शर्तों के अनुरूप है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी- सह-प्रभारी काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए कार्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PUSHKAR SINGH MUNDA JHK/JAS/267	श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- प्रभारी काराधीक्षक, मंडल कारा, लातेहार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए कार्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
